भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत वस्तुओं की सूची

भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची उन प्रावधानों से संबंधित है जो नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। इसमें 18 मामले हैं। शहरी सरकार की प्रणाली को 1992 के 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया था। इस अधिनियम ने भारत में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी सरकारों को पुनर्जीवित और मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय सरकार की इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

इस लेख में हम नगर पालिकाओं के दायरे में आने वाली वस्तुओं को प्रकाशित कर रहे हैं।

भारतीय संविधान की बारहवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल 18 वस्तुओं की सूची इस प्रकार है:

1. भूमि उपयोग एवं भूमि भवनों के निर्माण का विनियमन।
2. नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन।
3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना बनाना
4. शहरी गरीबी उन्मूलन
5. घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति
6. अग्निशमन सेवाएँ
7. सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

8. मलिन बस्ती सुधार एवं उन्नयन

9. शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना

10. शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिक पहलुओं को बढ़ावा देना

11. सड़कों एवं पुलों का निर्माण

12. शहरी सुविधाओं और सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों का प्रावधान

13. सांस्कृतिक, शैक्षिक और सौंदर्य संबंधी पहलुओं को बढ़ावा देना

14. दफ़न और कब्रिस्तान, दाह संस्कार और श्मशान और विद्युत शवदाह गृह

15. पशु तालाब, पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम

16. बूचड़खानों एवं चर्मशोधन कारखानों का विनियमन

17. सार्वजनिक सुविधाएं जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग स्थान, बस स्टॉप और सार्वजनिक सुविधाएं शामिल हैं

18. जन्म और मृत्यु के पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े

नगर पालिकाओं की स्थापना कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए की गई थी। मुनि के और भी कई नाम हैं